भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2123

31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियां

†2123. श्री नवसकनी के.:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 (वर्ष 2025 से पहले प्राप्त किए जाने वाले) में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफलता को दूर करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाना और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को घटाकर 1,000 पर 23 करना शामिल है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का देश में आगामी योजना अवधि के लिए नीतिगत निर्देश और विशिष्ट लक्ष्य तैयार करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित निर्देशों का उद्देश्य महामारी प्रबंधन, वायु प्रदूषण से जुड़ी रुग्णता और अल्ट्रा-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से संबंधित बीमारियों सहित उभरती सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का किस प्रकार सामना किया जाएगा/कम करने की मंशा है;

(घ) क्या भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल (जीआईडीएच) कार्यान्वयन योजना 2020-2025 के तहत 'सार्वभौमिक डिजिटल स्वास्थ्य' के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में मौजूदा संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): वर्ष 2017 में निर्मित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की लागत कम करके और समानता सुनिश्चित करके पहुंच बढ़ाने, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के जरिए उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग जन स्वास्थ्य

व्यय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए बजटीय आवंटन 2017-18 (ब.अ.) में ₹47,353 करोड़ से बढ़कर 2026-27 (ब.अ.) में ₹1,01,709 करोड़ हो गया है, जो 114.79% की वृद्धि है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन को प्राथमिकता दिए जाने और यथापरिकल्पित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने स्वास्थ्य बजट को कुल राज्य बजट के कम से कम 8% तक बढ़ाए जाने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए हैं।

कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएचएम के तहत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार प्रस्तावों को कार्यवाही रिकार्ड (आरओपी) के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

भारत में पाँच वर्ष से कम आयु वर्ग में मृत्यु दर (यू5एमआर) वर्ष 2014 में 45 से घटकर वर्ष 2024 में 28 हो गई है। भारत ने वर्ष 1990-2023 के दौरान 61% की वैश्विक कमी को पार करते हुए यू5एमआर में 78% की गिरावट प्राप्त की है।

सरकार एनएचएम के तहत प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु, बाल और किशोर स्वास्थ्य प्लस पोषण (आरएमएनसीएएच+एन) कार्यनीति के माध्यम से बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, जिसमें सुविधाकेंद्र आधारित नवजात शिशु परिचर्या, कंगारू मदर केयर (केएमसी), मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन (एमएए), एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी), गृह आधारित नवजात शिशु परिचर्या (एचबीएनसी) और गृह आधारित किशोर बच्चों की परिचर्या (एचबीवाईसी) कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके), बाल्यावस्था निमोनिया की रोकथाम और प्रबंधन के लिए एसएएएनएस पहल का कार्यान्वयन, ओआरएस और जिंक थेरेपी को बढ़ावा देने के लिए स्टॉप डायरिया अभियान और बाल्यावस्था के दौरान होने वाले रोग, दोषों, कमियों और विकासात्मक देरी की प्रारंभिक जांच, निदान और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) 2.0 कार्यकलाप शामिल हैं।

(ग): इस मंत्रालय ने महामारी प्रबंधन के लिए एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) लागू किया है, जिसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रकोप-प्रवण संचारी रोगों की निगरानी और उनके सामाधान का अधिकार दिया गया है। देश में प्रकोप-प्रवण रोग के किसी भी मामले की जांच जिला, राज्य और केंद्रीय स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीमों (आरआरटी) द्वारा प्रकोप जांच के भाग के रूप में की जाती है। महामारियों सहित जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया हेतु कार्यकलापों के समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए पंद्रह पहचाने गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य स्वास्थ्य विभागों को स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र (एचईओसी) स्थापित करने के संबंध में सहायता प्रदान की गई है। राज्य सरकारों को मेडिकल

ऑक्सीजन के लिए अस्पतालों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु पीएसए संयंत्रों के साथ-साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की रीफिलिंग हेतु बूस्टर पंपों की भी सहायता प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनपीसीसीएचएच) के तहत, वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय और राज्य कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं, स्वास्थ्य संबंधी परामर्शी और आईईसी अभियान प्रसारित किए जाते हैं, तकनीकी दिशानिर्देश और क्षमता-निर्माण पहलें की जाती हैं।

स्वस्थ आहार संबंधी प्रथाओं को बढ़ावा देने और अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से संबंधित रोगों को कम करने के उद्देश्य से, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने 'ईट राइट इंडिया' अभियान और 'आज से थोड़ा कम' जैसे जागरूकता अभियान लागू किए हैं, ताकि वसा, नमक और चीनी के सेवन में कमी को प्रोत्साहित किया जा सके और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दिया जा सके।

(घ) और (ङ): आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) का उद्देश्य एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बनाना है जिससे प्रत्येक नागरिक के दीर्घकालिक इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकार्ड का सृजन करने के लिए स्वास्थ्य पारितंत्र के अंतर्गत स्वास्थ्य डेटा की अंतर-संचालनीयता को सक्षम बनाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म का सृजन हो तथा नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाया जा सके जिसमें परिचर्या लागत में कमी और सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के बीच स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी में वृहत्तर प्रभाविता लाना शामिल है। देश भर के सभी कार्यशील आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) में उपलब्ध टेलीकंसल्टेशन सेवाएं, लोगों को उनके घरों के निकट विशेषज्ञ सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाती हैं, जिससे आवागमन, सेवा प्रदाताओं की कमी संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है तथा परिचर्या की निरंतरता बनी रह सकती है।
